

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/ 1754

दिनांक - 24/07/19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
पोकरराम पुत्र हेमाराम 2	1 लुम्भाराम 2 चन्दणाराम 3 पुनमाराम पिसरान खेराजराम	
बलाराम 3 डालूराम 4	4 पुरोदेवी पत्नी खेराजराम जाति जाट 5 खेताराम 6	
सोनाराम पिसरान खेताराम	पूराराम 7 जेठाराम पिसरान डूंगराराम 8 उम्मेदाराम पुत्र	
जाति जाट निवासी	उदाराम जाति जाट निवासी सरस्वती नगर 9 वागाराम 10	
सरस्वती नगर (सरणु)	गुणेशाराम 11 जगमालराम 12 गैनाराम पिसरान सोनाराम	
तहसील व जिला बाड़मेर।	13 सवाईराम पुत्र जुन्जाराम जाति राईका निवासी राईकों	
	की ढाणी (सरणु) तहसील व जिला बाड़मेर।	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 191/2019

दिनांक- 18/07/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरस्वती नगर पटवार क्षेत्र सरणु तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 329/33 रकबा 31.10 बीघा, खसरा संख्या 328/33 रकबा 31.07 बीघा कुल रकबा 62.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 24/07/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1755-50

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणु तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पोकरराम पुत्र हेमाराम वगैराह जाति जाट निवासी सरस्वती नगर (सरणु) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लुम्भाराम पुत्र खेराजराम वगैराह जाति जाट निवासी सरस्वती नगर (सरणु) तला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर